भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 228
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी किए जाने से संबंधित स्थिति

228. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-26 तक किसानों की आय दोगुनी किए जाने की सरकार की पहल की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या-क्या चुनौतियाँ सामने आई हैं;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लागू की गई कार्यनीतियों और नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल का किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा उनकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) फसलों की हानि, मूल्य अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस पहल का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"किसानों की आय दोगुनी किए जाने से संबंधित स्थिति" के संबंध में दिनांक 05.08.2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में विवरण।

(क) से (ङ): भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित समेकित रणनीति को अपनाया है:

(i) फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।
(ii) उत्पादन की लागत को कम करना।
(iii) किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का लाभकारी प्रतिफल।
(iv) कृषि का विविधीकरण करना।
(v) फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
(vi) जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती को अनुकूल बनाना और फसल हानि को कम करना।

कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के 21,933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के विकास के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू की प्रमुख योजनाएँ **अनुबंध** में दी गई हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने डीएएंडएफडब्ल्यू और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के विलय से अपनी आय में दो गुना से अधिक वृद्धि की है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय 8 प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का एक स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रुपये हो गई।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (वर्ष 2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-2024
ग्रामीण	1,430	4,122
शहरी	2,630	6,996
ग्रामीण एमपीसीई के % के रूप में अंतर	83.9	69.7

सरकार ने फसल हानि, मूल्य अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एकीकृत योजना, अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 50% के न्यूनतम मार्जिन के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और लाभार्थियों की प्राथमिकताएँ योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट की जाती हैं। कृषि विस्तार सभी योजनाओं का अभिन्न अंग है। किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 22 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 18001801551 के साथ किसान कॉल सेंटर चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 29 मई से 12 जून, 2025 तक चलाया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान एक व्यापक संपर्क अभियान था। वैज्ञानिकों और राज्य कृषि अधिकारियों की टीमों ने 60,917 कार्यक्रमों के माध्यम से 1.4 लाख से अधिक गाँवों के 1.35 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँच बनाई है।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****